

श्री चंद्रकांत खैर (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मुझे खुशी है कि कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में श्री हन्नान मोल्ताह द्वारा सदन में चर्चा प्रारम्भ की गई और माननीय मंत्री जी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित थे तथा उन्होंने उत्तर भी दिया। इस संबंध में वे भविष्य में बिल भी लाने वाले हैं। मैं आज हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान में लगभग 3 करोड़ की आबादी शिक्षित बेरोजगारों की है, जो कि खाली बैठे हुए हैं। माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी आशा होती है कि उनके बच्चे पढ़-लिख कर कोई काम करेंगे या किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे कि उनके माध्यम से स्थापित किए उद्योगों से और बेरोजगारों को भी काम मिलेगा।

[a45] सभी स्टेट्स में शिक्षित बेरोजगारों के लिए सहायता केन्द्र बने हैं लेकिन वे पूर्ण रूप से नहीं हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना द्वारा बैंकों से एक लाख रुपए का जो ऋण मिलता है उसके लिए बैंकों के कई चक्कर लगाने के बाद भी ऋण नहीं दिया जाता है। बैंक वाले 40-50 हजार रुपए से अधिक ऋण नहीं देते हैं। इतनी राशि में कोई व्यवसाय नहीं हो सकता।

आज कोई एमबीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई सिविल, इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करता है। देश को कम्प्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत है लेकिन वे मिलते नहीं हैं। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ है। हमें उनकी कोई मदद करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह बिल इस मकसद से लाया हूँ कि इसका केन्द्र हर जिले में हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इंडस्ट्री वालों की मदद करने के लिए होते हैं, वैसे ही जिले में एक स्वरोजगार अधिकारी बनाना चाहिए। वह अधिकारी शिक्षित बेरोजगारों को मार्गदर्शन देने के लिए नियुक्त करना चाहिए। अगर किसी को कोई उपक्रम शुरू करना है तो वह कैसा होगा, ये सब बताने के लिए वह अधिकारी होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की समय-समय पर मीटिंग भी होनी चाहिए। अधिकारी शिक्षित बेरोजगार लोगों को बताएं कि वे फ्लां-फ्लां बैंक से ऋण लें। इससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे।

जन-प्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास अवसर शिक्षित बेरोजगार लोग आते हैं और कहते हैं कि फ्लां कम्पनी में हमें नौकरी मिलवा दें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें केन्द्र या राज्य की सरकारी नौकरी मिलवा लीजिए। अभी हर जगह भारती केन्द्र खुले हैं जिन के नियम बने हैं - जैसे रेलवे के हैं, प्रीविडेंट फंड ऑफिस के हैं, पी. एंड टी. के हैं, पीएसयूज के हैं। हमारी पार्टी शिव सेना ने मुम्बई में शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक केन्द्र खोला है। माननीय बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा कहते हैं कि नौकरियों के पीछे क्यों भाग रहे हो क्योंकि वे इतनी ज्यादा नहीं हैं, इसलिए स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, स्वरोजगार शुरू करो। इसलिए मुम्बई में दादर में हमारी पार्टी ने शिव सेना भवन में ऐसा केन्द्र बनाया है जहां शिक्षित बेरोजगार लोगों को गाइड किया जाता है। अगर सरकार के माध्यम से वं हर जिले में बन गए तो निश्चित रूप से शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कम हो जाएगी और वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इससे देश की भी उन्नति होगी।

आज देश बहुत आगे जा रहा है। पहले बहुत मुश्किलें पैदा होती थीं। आज कम्प्यूटर का जमाना है। हम इलैक्ट्रॉनिक्स में आगे जा रहे हैं। आज मैन्युअली काम नहीं हो रहा है। मशीनों द्वारा सब काम हो रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। महाराष्ट्र में एमआईडीसी है। इसके माध्यम से इंडस्ट्री खोली जाती है। गुजरात में जीआईडीसी है। उनके अलग-अलग जगह कारपोरेशन हैं। कारपोरेशन के माध्यम से इंडस्ट्री वालों को लैंड दी जाती है। उनका एक सेंटर भी है जो इंडस्ट्री वालों की मदद करता है। [a46] ऐसे ही शिक्षित बेरोजगारों के लिए छोटी सी इंडस्ट्री खोलें, छोटा सा उपक्रम शुरू करें या छोटा सा कम्प्युनिकेशन सेंटर खोलें, तो निश्चित रूप से उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकती है। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इनकी जरूरत निश्चित रूप से हो सकती है और जॉब वर्क भी मिल सकता है। जॉब वर्क के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों का पुनरुत्थान हो जाएगा और बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी, यह सोचना चाहिए। जैसा कि ऑस्कर फर्नांडिस जी ने कहा कि ईजीएस स्कीम निकाली है, बेरोजगारों के लिए देहात या ग्रामीण क्षेत्रों में स्कीम निकाली है जिसमें काम नहीं मिलने पर प्रतिदिन 60 रुपए दिए जाएंगे। ऐसी स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में जितने मजदूर हैं उनके लिए निकाली है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों को कई बार हल चलाना पड़ता है, कई बार वे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर उनकी पांच या दस एकड़ खेती होगी तो उसे कौन देखेगा। एग्रीकल्चर

डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, बहुत लोग बीएससी, एग्रीकल्चर की डिग्री लेकर

घर में काम करते हैं, उनको भी केंद्रों में अधिकारी स्वरोजगार देगा तो निश्चित रूप से हमारे देश के बेरोजगारों को बहुत मदद मिलेगी। वैसे तो ये केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जिसे सूचना चाहिए वह क्लवटर ऑफिस में जाकर पांच या सात मिनट में ले सकता है लेकिन आज ऐसे सूचना और सहायता केंद्र बनाने के बाद भी इनकी इतनी बड़ी संख्या होने के कारण आज नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत लोगों को लगा कि मंडल आयोग के माध्यम बहुत नौकरियां मिलेंगी, लेकिन नौकरियां निकली नहीं तो मिलेंगी कहां से? आज कई ऑफिसिस में वैकेंसिस खाली हैं लेकिन वैकेंसिस भरने के लिए डिपार्टमेंट के पास बजट का प्रोवीजन नहीं होता है। ऐसी कई जगह खाली होने के कारण आउटसोर्सिंग करके ज्यादा से ज्यादा आने वाला खर्च कम हो जाता है, ऐसा कई दिन से चल रहा है। इस तरह से केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी कब मिलेगी? मान लीजिए एक हजार वैकेंसिस के लिए हमने किसी को कहा कि एड आने के बाद फॉर्म भरना, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब इंटरव्यू होता है तब एक हजार वैकेंसिस के लिए एक लाख कैंडिडेट आते हैं, उसमें वे कैसे आएंगे? इसलिए ऐसा कुछ हो जाए और उनको किसी न किसी माध्यम से रोजगार का साधन मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से तरक्की होगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूँ। आपने बताया है कि लेबर्स के लिए अच्छा बिल लाने वाले हैं, कामगारों की सुरक्षा के लिए बिल लाने वाले हैं। माननीय सदस्य हन्नान जी और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए पृष्ठ के संबंध में आपने अच्छा एश्वॉरेंस दिया है। मेरा कहना है कि शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या इस देश में है, उनको पढ़ाई खत्म करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है और नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ न कुछ सहायता केंद्र के माध्यम से कुछ इंतजाम हो जाए, इसके लिए आप ऐसा बिल लाईए जिससे हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हो जाए और इसके माध्यम से उनको मदद मिले। इस बिल के माध्यम से सुधार करना पड़ेगा इसलिए मेरा सुझाव है कि नेशनल बैंक उनको पैसा नहीं देती है इसलिए उन्हें पैसे देने का प्रोवीजन इसमें होना चाहिए। आज मैं इस बिल के संबंध में कहना चाहता हूँ कि यह पास हो जाए जबकि आपके सुझाव से हम विद्वां भी कर सकते हैं, आपके एश्वॉरेंस देने के बाद जब आप अपना बिल लाएं क्योंकि

2000 करोड़ रुपए के करीब केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट भी किया है।

मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि यह छोटा सा बिल है, हन्नान जी का तो बहुत बड़ा बिल था, इसलिए इसके लिए जल्दी से जल्दी विधेयक लाईए। आज हिंदुस्तान में रिकॉर्ड के अनुसार तीन करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी समस्या आप सॉल्व कीजिए, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्व-रोजगार का संवर्धन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, चंद्रकांत खैरे जी आज सदन में बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर आए हैं और यह ऐसा बिल है जो हमारे देश की मूल समस्या की तरफ ध्यान केन्द्रित करता है। भारत एक ऐसा देश है जहां युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। लगभग इस देश में सात प्रतिशत युवा हैं। बेरोजगारी इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। जहां एक ओर गांवों में आदमी बेकार बैठा है, वहीं दूसरी ओर शहर में पढ़ा-लिखा नौजवान भी बेकार बैठा है। आप उन मां-बाप की स्थिति का अंदाजा लगाइए जो भारी खर्चे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बी.एड या नर्सिंग या कम्प्यूटर कोर्स या आई.टी.आई. या इंजीनियरिंग करवाकर जब बेटा घर लौटता है और साथ ही यह उम्मीद उसे होती है कि उसे नौकरी मिलेगी, वह लड़का बेरोजगार दफतरो में चक्कर काटता रहता है, अपने फॉर्म भरता रहता है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। इस हताशा के अंदर जब उसे रोजगार नहीं मिल पाता तो समाज विरोधी गतिविधियों में वह लिप्त हो जाता है। आज जितने क्राइम्स हो रहे हैं, उनके पीछे पढ़े-लिखे और बहुत ही शार्प और इंटेलीजेंट लोग होते हैं जिन्हें समय पर रोजगार नहीं मिलने के कारण छोटे-छोटे धिनौने काम करते-करते बड़े-बड़े काम करने लगते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताता हूँ कि पिछले दिनों मोटर-साइकिल चोरों की एक टोली पकड़ी गई। दुर्भाग्य से ये सब वे लोग थे जो ग्रेजुएट थे और नौकरी की तलाश में घूम रहे थे। एक ने मोटर-साइकिल चुराई। थोड़ी सी कीमत पर हरियाणा में जाकर बेच दी, कुछ दिन खाया-पिया, मौजमस्ती की और फिर एक मोटर-साइकिल चुराई और धीरे-धीरे उनका एक गैंग बनकर तैयार हो गया। फिर इस मोटर-साइकिल चोरी से वे कार चोरी पर आ गये, किराये की टैक्सी ली, टैक्सी लेकर आने गये और आने रास्ते में गाड़ियों के ड्राइवर की गर्दन पकड़कर नीचे पटका और गाड़ी ले जाकर बेच दी। वहां से बढ़ते-बढ़ते ट्रक और दस-दस टैंकर वाले ट्रक की चोरी करने लग गये। फिरौती जैसे धंधों में लोग शामिल हो गये। इसलिए चंद्रकांत खैरे जी जो बिल लेकर आए हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण [r47] है। यह सोचना होगा कि हमारे नौजवानों को किस तरह स्व-रोजगार की तरफ प्रेरित करें। सिर्फ डिग्री लेने से काम... (व्यवधान) ..

सभापति महोदय : डा. यादव, अब साढ़े चार बज रहे हैं, हमें दूसरा आइटम लेना है। इसलिये आप अपना भाषण, अगली बार जब यह विषय आयेगा, तब जारी रख सकेंगे। अब हम दूसरा विषय ले रहे हैं।